विषय: एपीडा मान्यता-प्राप्त प्रयोगशालाओं द्वारा एपीडा पंजीकृत निर्यातकों से ली जाने वाली फीस में 10% की रियायत

एपीडा गुणवत्ता विकास योजना के अंतर्गत अपनी मान्यता-प्राप्त प्रयोगशालाओं को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। परिणामस्वरूप एपीडा द्वारा मान्यता-प्राप्त सभी प्रयोगशालाओं ने उपकरणों के साथ-साथ नमूनाकरण और विश्लेषण के तरीकों के अनुसार स्वयं को उन्नत भी किया है।

एपीडा द्वारा मान्यता-प्राप्त प्रयोगशालाओं को अपग्रेड करने के लिए सहायता एपीडा पंजीकृत निर्यातकों को शुल्क में 10% रियायत देने के अधीन प्रदान की जाती है। एपीडा अनुशंसा करता है कि निर्यातक अपने खेप की सैंपलिंग और विश्लेषण से संबंधित शुल्क में 10% छूट की मांग करें। प्रयोगशालाएँ निर्यातकों को निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त 10% छूट देंगी। यदि प्रयोगशालाएँ निर्यातकों को 10% छूट देने में अनिच्छा व्यक्त करती हैं, तो निर्यातकों को निम्नलिखित ईमेल पते पर एपीडा को इसकी सूचना देने का सुझाव दिया जाता है:

director@apeda.gov.in